भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 738

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष प्रशिक्षण में सुधार

738. श्री अनुराग शर्मा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थानों में शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई उपाय लागू किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में आयुष उपचार और पद्धतियों के बारे में जन जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आयुष प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या साझेदारी स्थापित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष शिक्षा क्षेत्र के संवर्धन और विकास की प्रक्रिया में और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आईएसएम एंड एच) की शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए, केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 (एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 (एनसीएच अधिनियम, 2020) अधिनियमित किया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा, दो आयोगों, अर्थात् भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) का गठन किया, ताकि वे क्रमशः एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 और एनसीएच अधिनियम, 2020 के तहत उन्हें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकें और सौंपे गए कार्यों का निष्पादन कर सकें।

इसके अलावा, देश में एएसयूएसआर एंड एच मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु एनसीआईएसएम, एनसीएच और आयुष मंत्रालय के तहत अनुसंधान परिषदों द्वारा किए गए विभिन्न उपाय तथा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी संस्थानों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए एनसीआईएसएम और एनसीएच द्वारा किए गए कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं:

i. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा संचालित सभी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा जो अब राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी-यूजी) है, के माध्यम से दिया जा रहा है।

ii. सभी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) स्नातकोत्तर कॉलेजों में प्रवेश, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा अर्थात अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआईएपीजीईटी) के माध्यम से दिया जा रहा है।

iii. ऑल इंडिया कोटा सीटें सृजित की गई हैं: शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी कॉलेजों, मानद विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों में सभी एएसयू एंड एच (यूजी और पीजी) पाठ्यक्रमों की कुल सीटों का न्यूनतम 15% (जो संबंधित राज्य/विश्वविद्यालय/संस्थानों के मौजूदा नियमों के अनुसार अधिक हो सकता है)।

iv. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और मानद विश्वविद्यालयों के तहत अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने हेतु एक समिति अर्थात आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (एएसीसीसी) गठित की गई है।

(I) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम)

नीतिगत सुधार

1. एएसयू कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के आधार पर आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिए विनियम अर्थात भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक-पूर्व शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम-2022 अधिसूचित किया गया।

2. इसके बाद एनसीआईएसएम द्वारा एएसयू शिक्षण संस्थानों की आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिए विनियम, अर्थात भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक-पूर्व कॉलेजों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024, के अनुसार बुनियादी ढांचे, सुविधा, कार्यक्षमता और अभिनव पहलों के विशिष्ट मानदंडों के आधार पर रेटिंग की जाएगी।

3. विदेशी छात्रों के लिए एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 की धारा 35 के तहत डिग्री समावेशन की मान्यता और एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 की धारा 36 के तहत डिग्री समावेशन की मान्यता शुरू की गई है।

पाठ्यचर्या में सुधार

1. एएसयू शिक्षा में योग्यता आधारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम शुरू किया गया और 2021-22 शैक्षणिक सत्र से लागू किया गया, जिसमें सभी उन्नत शिक्षण, प्रशिक्षण के साथ-साथ मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है, प्रथम पेशेवर के लगभग 3000 शिक्षकों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया।
2. कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए व्याख्यान और गैर-व्याख्यान घंटों का अनुपात उलट कर 1:2 निर्धारित किया गया है।
3. एएसयूएस पाठ्यचर्या में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का समावेश करने की कार्यविधि को विनियमों में शामिल किया गया है।
4. एएसयू में संबंधित विशेषज्ञता के स्नातकोत्तर छात्रों को उद्योग एक्सपोजर करने के लिए उद्योग-अकादमिक सहयोग शुरू किया गया है।
5. बहु-विषयक पहलुओं के ज्ञान से परिचित कराने के लिए, ऑनलाइन वैकल्पिक पाठ्यक्रम 2021-22 से लागू किए जा रहे हैं।

क्षमता वर्धन

1. एएसयू कॉलेजों में पीजी शोध प्रबंध कार्य और उसके बाद प्रकाशन की गुणवत्ता में सुधार हेतु एनसीआईएसएम द्वारा सभी पीजी गाइड के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2. एनसीआईएसएम ने एएसयू पीजी छात्रों के लिए उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उद्योग अकादमिक सहयोग में सहायता देने के लिए कार्यवाही शुरू की है।
3. एनसीआईएसएम द्वारा एएसयू की पाठ्यचर्या में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को शामिल करने की कार्यविधि तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
4. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम), नई दिल्ली ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) (मानित विश्वविद्यालय) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि एनसीआईएसएम के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा कॉलेजों के प्रधानाचार्यों का आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता वर्धन किया जा सके और प्रधानाचार्यों के सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करने में सुधार किया जा सके। और इसके तहत, जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक 05 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।
5. उत्तम प्रकाशन पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आयुष समुदाय के बीच वैज्ञानिक लेखन की धारणा को बदलने के लिए इस क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य की कमियों को दूर करने के लिए, एनसीआईएसएम ने सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स और सेंटर फॉर कॉम्प्लिमेंटरी एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ (सीसीआईएच), सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे के सहयोग से 60 मास्टर ट्रेनरों को एएसयू पद्धतियों की "वैज्ञानिक लेखन, अनुसंधान सत्यनिष्ठा और प्रकाशन नैतिकता" पर प्रशिक्षित किया है। इन मास्टर ट्रेनर्स का उद्देश्य पूरे देश में सभी पीजी गाइडों को प्रशिक्षित करना है। इसके अलावा, एनसीआईएसएम ने "वैज्ञानिक लेखन, अनुसंधान सत्यनिष्ठा और प्रकाशन नैतिकता" पर सभी स्नातकोत्तर गाइडों को संवेदनशील बनाने के लिए एएसयू, पीजी संस्थानों के माध्यम से 03 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया है।
6. संस्कृत के शिक्षकों को कम्प्यूटेशनल टूल्स और प्लेटफार्मों से परिचित कराने और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, एनसीआईएसएम ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है और इसके बाद एनसीआईएसएम के तहत मान्यता प्राप्त सभी आयुर्वेद कॉलेजों के संस्कृत शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

(II) <u>राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच)</u>

होम्योपैथी में गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- होम्योपैथी ग्रेजुएट डिग्री कोर्स बीएचएमएस विनियम 2022, जिसे 7.12.2022 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, में विभिन्न नई पहलें की गई हैं अर्थात शुरू में ही क्लीनिकल एक्सपोजर, ऐच्छिक विषयों की शुरूआत, संकाय विकास फाउंडेशन कार्यक्रम, कार्यक्रम, इंटर्नशिप के अंत में फिनिशिंग कार्यक्रम, औषध विज्ञान, मनोविज्ञान और योग जैसे नए विषयों का समावेशन।
- एनसीएच ने तकनीकी प्रगति की तुलना में नियमित अद्यतन के साथ आधुनिक जानकारी के अनुरूप शिक्षण संकायों की दक्षताओं और कौशल को बढ़ाने की परिकल्पना की है।
- एनसीएच ने होम्योपैथी शिक्षा और अभ्यास के लिए मानक तैयार किए हैं, यह होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए इसे विनियमित भी करता है।
- होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों को एनएएसी और एनएबीएच से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि संबद्ध अस्पतालों के माध्यम से जनता को गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- एनसीएच अधिनियम में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु पदस्थ शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (एनटीईटी) और छात्रों के लिए नेशनल एक्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी) का प्रावधान है।

- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता आधारित डाइनैमिक पाठ्यक्रम विकसित किया है, जिसके लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे बीएचएमएस के संकायों के लिए विभिन्न क्षेत्रवार प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।
- ऐच्छिक विषय तैयार किए गए हैं और इन्हें आयुष शिक्षा पोर्टल पर विभिन्न पाठों के साथ उपलब्ध कराया गया है ताकि छात्र विभिन्न विषयों जैसे भारत में विभिन्न स्वास्थ्य पद्धतियों का अभिविन्यास, एंथ्रोपोमेट्री, व्यक्तित्व विकास के बारे में अपना ज्ञान वर्धन कर सकें।
- केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), नई दिल्ली, जो एक स्वायत्त संगठन है, ने देश में आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(क) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए-

- आयुष पी.एच.डी. छात्रवृत्ति कार्यक्रम।
- सीसीआरएएस पोस्ट-डॉक्टरल छात्रवृत्ति योजना (पीडीएफ)।
- पीजी छात्रों के लिए आयुर्वेद अनुसंधान प्रशिक्षण योजना (पीजी-स्टार)।

(ख) स्नातक-पूर्व छात्रों के लिए-

- आयुर्वेद अनुसंधान केन हेतु छात्रवृत्ति कार्यक्रम (स्पार्क)

(ग) इंटरमीडिएट/सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा XII) (12 साल की स्कूली शिक्षा) वाले उम्मीदवारों के लिए -

- पंचकर्म तकनीशियन कोर्स (पीटीसी)

(ख): एनसीआईएसएम और एनसीएच के तहत देश भर में स्थित एएसयूएसआर एंड एच कॉलेजों के माध्यम से, प्रचार गतिविधियों, स्वास्थ्य सेवाओं, जागरूकता को जनता तक पहुंचाया जाता है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय के अधीन अनुसंधान परिषदों (सीसीआरएएस, सीसीआरएस, सीसीआरयूएम, सीसीआरएच और सीसीआरवाईएन) तथा राष्ट्रीय संस्थानों ने स्वास्थ्य सेवाओं (ओपीडी/आईपीडी), कार्यशालाओं, सेमिनारों, अनुसंधान गतिविधियों, सीएमईएस, सम्मेलनों और विशेष ओपीडी आदि के माध्यम से देश भर में आयुष उपचारों और अभ्यासों के बारे में जन जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए तथा सामान्य बीमारियों के उपचार हेतु उनके प्रयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है और एनएएम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त उनके प्रस्तावों के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए प्रावधान करता है:-

(i) मौजूदा आयुष औषधालयों और स्वास्थ्य उप-केंद्रों का उन्नयन करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का संचालन।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।

(iii) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति।

(iv) मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

(v) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए/जीर्ण-शीर्ण आवास वाले) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण।

(vi) 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।

(vii) आयुष जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम।

(viii) उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना करना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

(ix) आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों का ढांचागत विकास।

(x) आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का ढांचागत विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों में वृद्धि।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एसएएपी के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

(ग): आयुष मंत्रालय, आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना (आईसी योजना) के अंतर्गत आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए आयुष उद्योग/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है। योजना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूकता और रूचि बढ़ाने और इसे सुदृढ़ करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन के लिए सहायता देने का भी प्रावधान है। मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार, विकास और मान्यकरण हेतु सहायता देने के लिए ब्रिक्स, एससीओ, आसियान, इब्सा, जी-20, बिम्सटेक आदि जैसे विभिन्न मंचों के साथ बहुपक्षीय सहयोग और विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संवाद में लगा हुआ है। अब तक, आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए 24 अलग-अलग देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू); सहयोगात्मक अनुसंधान/अकादमिक सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 50 समझौता ज्ञापनों और विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों के तहत, आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान, उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई गई हैं। आयुष मंत्रालय अपनी आयुष छात्रवृत्ति योजना के तहत, भारत के प्रमुख संस्थानों में आयुष में स्नातक-पूर्व (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए 102 देशों के पात्र विदेशी नागरिकों को हर साल 104 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

*****